

प्रमाण,

आचार्य मण्डली,
उप निदेश,
असाव प्रोबल शासन ।

शेका में,

निदेशी,
मैन्ड्रज बोर्ड आफ़ निदेशरी एजुकेशन,
2/19, नया निहार,
नई दिल्ली ।

दिनांक 1191 अनुभाग

स्थापना दिनांक: 19 नवम्बर, 1992.

विषय :- मानव सशक्तिकरण स्कूल, पन्नीतपुर, बरेली को अनापत्तित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

सारांश,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कठमे का निदेश प्राप्त हुआ है कि मानव सशक्तिकरण स्कूल, पन्नीतपुर, बरेली को मैन्ड्रज बोर्ड आफ़ निदेशरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने के इत राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तिकाओं के अधीन अनापत्तित करनी है :-

- 111 विद्यालय की परीक्षित योजनाओं का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायगा ।
- 120 विद्यालय को प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिकी वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रथम माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायगा ।
- 141 संघा द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग करनी की जायगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तब विद्यालय को सम्बन्धता मैन्ड्रज बोर्ड आफ़ निदेशरी एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फ़ार दिव इन्डियन स्कूल सर्विसेज समन्वयन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो तबत परीक्षा शर्तिकाओं से सम्बन्धता होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना ही जायगी ।


Hony. Secretary
Manas Sthali
Near Faridpur Town


Anil Kumar Tripathi
Principal
Manas Sthali Public School
Near Faridpur Town

- 058 संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणसहायक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य पदनामों तथा अन्य भत्तों में कम वित्तमान तथा अन्य आगे भत्तों दिये जायेंगे ।
- 064 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आजीवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 078 राज्य सरकार द्वारा राज्य राज्य तह की भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 088 विद्यमानक का रिक्त निर्धारित पुरान/पुंफिकाओं में रखा जायगा ।
- 094 उपायों में राज्य सरकार के सुपरिन्टेंडन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का मानन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह बात आता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का मानन नहीं किया जा रहा है अथवा मानन करने में किसी प्रकार की कोई कूट या शिथिलता करती जा रहा है तो, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमन्य प्रत्येक प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायगा ।

मन्दीप,

अधीक मांगुली १
उप सचिव ।

संस्था-2690111/151/91/92 मन्दीप

प्रतिनिधि, निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेरित :-

- 011 शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिक्षा कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
- 028 मन्दीप उ० शिक्षा निदेशक, धरौली संघ, धरौली ।
- 038 शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, धरौली ।
- 048 निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 058 प्रबन्धक, मानव संसाधन परिषद संघ, फरीदपुर, पञ्जाब धरौली ।

आज्ञा से,

अधीक मांगुली १
उप सचिव ।

Hony. Secretary
Manas Sthali
Near Faridpur Town
Bareilly (U.P.)-243503

Anil Kumar Tripathi
Principa
Manas Sthali Public School
Near Faridpur Town
Bareilly (UP)-243503